

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 129/2022

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड सैकिण्ड फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी श्री अक्षय खण्डेलवाल

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. विकास कुमावत पुत्र लीलाधर, जाति कुमावत,
प्रथम पता- प्लॉट नं० 301, 302, 303, 304, वार्ड नं० 24, रोड नं० 3 से हटकर गोलाई मोड, झुंझुनू, तहसील व जिला झुंझुनू 333001
द्वितीय पता - रोड नं० 3, वार्ड नं० 24, नीता की ढाणी, झुंझुनू 333001
तृतीय पता-मार्फत विकास कंस्ट्रक्शन कम्पनी, झुंझुनू 333001
2. लीलाधर पुत्र बनवारी, जाति कुमावत,
प्रथम पता- प्लॉट नं० 301, 302, 303, 304, वार्ड नं० 24, रोड नं० 3 से हटकर गोलाई मोड, झुंझुनू, तहसील व जिला झुंझुनू 333001
द्वितीय पता - रोड नं० 3, वार्ड नं० 24, नीता की ढाणी, झुंझुनू 333001
3. पुष्पा पुत्री गुरुदयाल पत्नि लीलाधर, जाति कुमावत
4. सुनिता कुमावत पत्नि विकास, जाति कुमावत,
प्रथम पता- प्लॉट नं० 301, 302, 303, 304, वार्ड नं० 24, रोड नं० 3 से हटकर गोलाई मोड, झुंझुनू, तहसील व जिला झुंझुनू 333001
द्वितीय पता - रोड नं० 3, वार्ड नं० 24, नीता की ढाणी, झुंझुनू 333001

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूमिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋणी की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में।

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री कंचन सिंह चौधरी- प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. एडवोकेट श्री कैलाश कल्याण- अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 4 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 23.01.2023

प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है कि अप्रार्थी (विकास कुमावत) को प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये अनुबन्ध संख्या 33703962 के तहत सम्पत्ति बंधक रख ऋण प्रदान किया गया था इसलिए प्रार्थी बैंक उक्त ऋण बाबत सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत एवं सक्षम है। प्रार्थी बैंक के यहां ऋणी अप्रार्थीगण ने ऋण हेतु आवेदन किया था। जिस पर प्रार्थी बैंक के यहां द्वारा अपनी अपनी निजी सम्पत्ति प्लॉट नं० 301,



302, 303, 304, वार्ड नं० 24, रोड नं० 3 से हटकर गोलाई मोड, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू कुल क्षेत्रफल 254.11 वर्गगज को बंधक रख निम्न वर्णित ऋण खाते

Sr. No.	Loan A/c. No.	Agreement Dt.	Sanction Amount	NPA Date
1	33703962	10.09.2020	8,00,000/-	02.12.2021

के तहत ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत ऋण सुविधा प्राप्त की गई थी जिसे अप्रार्थीगण-ऋणियों द्वारा मासिक किश्तों में प्रार्थी बैंक को वापस अदा करना था। प्रार्थी बैंक ने ऋणी अप्रार्थी के मालिकाना हक की सम्पत्ति प्लॉट नं० 301, 302, 303, 304, वार्ड नं० 24, रोड नं० 3 से हटकर गोलाई मोड, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू कुल क्षेत्रफल 254.11 वर्गगज के हक के मूल दस्तावेजात आदि प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सिक्वोरिटी पेटे बंधक रखे गये थे। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण राशि को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप तय मासिक किश्तों का भुगतान नहीं किया अर्थात् नियमित मासिक किश्तों में व्यतिक्रम किया। इस कारण ऋणी का ऋण खाता अक्रियान्वित आस्ति की श्रेणी में (NPA) वर्गीकृत हो गये। ऋणी के ऋण खाते अक्रियान्वित आस्ति (NPA) की श्रेणी में दिनांक 02.12.2021 को वर्गीकृत होने के कारण प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणियों को नोटिस दिनांक 22.01.2022 का लिखा जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 22.01.2022 को भिजवाया गया तथा धारा 13 (2) के नोटिस का हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में दिनांक 31.01.2022 को प्रकाशन किया गया। जिसके तहत ऋणियों को नोटिस प्राप्त के 60 दिवस के अन्दर ऋण की बकाया राशि 8,11,127.82/- रूपये (अक्षरे आठ लाख ग्यारह हजार एक सौ सत्ताईस रूपये बियासी पैसे मात्र) मय आगामी ब्याज प्रार्थी बैंक को अदा करने हेतु सूचित किया गया। लेकिन अप्रार्थीगण/ऋणियों ने उपरोक्त नोटिस अन्तर्गत धारा 13(2) की विधिवत सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात ना तो किसी प्रकार की राशि का भुगतान किया गया एवं ना ही नोटिस का कोई जवाब ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक को भिजवाया गया तथा किसी प्रकार की कोई उज्रदारी प्रार्थी बैंक को इस संदर्भ में ऋणियों से प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण से उक्त राशि मय आगामी ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसकी वसूली हेतु प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण ऋणियों की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं० 301, 302, 303, 304, वार्ड नं० 24, रोड नं० 3, नियर गोलाई मोड, झुंझुनू कुल क्षेत्रफल 1796.53 वर्गगज (उपहार में प्राप्त सम्पत्ति 245.11 वर्गगज) का भौतिक कब्जा प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी है। जिनको नीलाम कर प्रार्थी बैंक ऋण राशि की वसूली कर सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि माननीय न्यायालय प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्लॉट नं० 301, 302, 303, 304, वार्ड नं० 24, रोड नं० 3 से हटकर गोलाई मोड, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू कुल क्षेत्रफल 254.11 वर्गगज जिसकी चारो सीमाओं में पूर्व में रास्ता, पश्चिम में गिरधारी लाल, उत्तर में रोहिताश दिलीप, लीलाधर का मकान व दक्षिण में रोहिताश का प्लॉट स्थित है। जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक है जो कानूनी रूप से सम्पत्ति को कुर्क करवाने व बेचान करने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को भौतिक रूप से कुर्क करने हेतु प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति को भौतिक कब्जा जरिये प्रार्थी बैंक के अधिकृत अधिकारी को जरिये पुलिस सहायता दिलवाने का आदेश पारित करने की कृपा करे। अन्य कोई आदेश जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थी बैंक के हक में पारित किया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन०पी०ए० घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।


वकील अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 4 ने वकील प्रार्थी के कथनों के विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की बकाया ऋण राशि जमा कराने को तैयार है। अप्रार्थीगण को बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु अवसर प्रदान किया जावे।



हमने प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं० 301, 302, 303, 304, वार्ड नं० 24, रोड नं० 3 से हटकर गोलाई मोड, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू कुल क्षेत्रफल 254.11 वर्गगज जिसकी चारो सीमाओ में पूर्व में रास्ता, पश्चिम में गिरधारी लाल, उत्तर में रोहिताश दिलीप, लीलाधर का मकान व दक्षिण में रोहिताश का प्लॉट स्थित है। स्थित है का पजेशन प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 23.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला सजिस्ट्रेट, झुंझुनू